(2)—संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंको का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड़ दिया जायेगा ।

(3)किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

(4)यदि कोई अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी, जिनमें अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा एक अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5)समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(6)प्रत्येक सत्र में परिषद एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास,यदि कोई,को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेंगे। अधीक्षक अपने विवेक से या तो परीक्षार्थी को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकते हैं या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंको में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक, की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही के विरूद्ध परिषद के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परिषद का विनिश्चय इस सम्बंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

स्थायीकरण

22.(1)उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--

(क)उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और संस्थान से प्रमाण--पत्र प्राप्त किया हो,

(ख)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ग)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2)जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम--5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता

23--. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय--समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।